न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/ 2020
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2020/41

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री मखजी पिता श्री हकरा जाति भील निवासी लसोडिया तहसील कुशलगढ

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री कान्तिलाल पिता थावरा जाति भील निवासी लसोडिया तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
2. श्री कालुराम पिता थावरा जाति भील निवासी लसोडिया तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
3. श्री मलु पिता थावरा जाति भील निवासी लसोडिया तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
4. श्रीमती काली पुत्री थावरा जाति भील निवासी मोतिया तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
5. श्रीमती कंकु पुत्री थावरा जाति भील निवासी सिमेडा तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
6. श्रीमती संतु पुत्री थावरा (पत्नि प्रभु) जाति भील निवासी माण्डली तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा
7. श्री गोबरीया पिता स्व. भोगजी जाति भील निवासी जानामेडी तहसील व जिला बॉसवाडा
8. तहसीलदार कुशलगढ हाल तहसील सज्जनगढ

उपस्थित

श्री तसीलीम अहमद, एडवोकेट

श्री समर पण्ड्या एड्वोकेट
तहसीलदार तहसील सज्जनगढ

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 29.09.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ~~सठ~~ लसोडिया पटवार क्षैत्र राठ धनराज तहसील कुशलगढ हाल सज्जनगढ के खाता सं.38 नया व 39 पुराना खसरा नं.91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 146, 147, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 206, 210, 211, 230, 231, 235, 446, 507/1, 510/181, 554/160, 555/169 कुल खेत 30 कुल रकबा 54.05 बिघा जिसका रजिस्टर्ड वसीयतनामा वरसेग द्वारा [illegible] मखजी व स्व.ताजुडी के नाम दिनांक 31.01.1990 को पंजीबद्ध किया गया था। अपीलार्थी [illegible] रजिस्टर्ड वसीयतनामा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 13:25:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

नजरदांज कर एवं कानून की अनदेखी कर दिनांक 04.10.1993 को नामान्तरकरण सं. 343 तात्कालिक तहसीलदार कुशलगढ द्वारा वरसेंग की दो पुत्रीयों स्व. धीरा व स्व. ताजुडी के नाम विधि विरुद्ध खोला गया जिसमें दोनो पुत्रीयों की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण नामान्तरकरण के बाद खाते में वर्तमान में रेस्पोडेंट सं. 1 से 6 का नाम दर्ज रेकार्ड है, जो अवैधानिक होकर काबिल निरस्त है। नामान्तरकरण सं. 343 दिनांक 04.10.1993 तहसीलदार कुशलगढ हाल सज्जनगढ के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्टस् को समन जारी किये गए। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री समर पण्ड्या एड्वोकेट का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 04.01.2021 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमे कथन किया कि अपीलांट व प्रत्यर्थीगण एक परिवार के नही है। मूल खाता वरसेंग पिता लिमजी के नाम से था तथा मृत्यु के पश्चात् वरसेंग के कोई पुत्र संतान नही होने से दो जीवीत पुत्रीयों धीरा, ताजुडी पिता वरसेंग के नाम सयुक्त रुप से खाते में जरिये नामान्तरकरण सं. 343 दिनांक 04.10.1993 से दर्ज हुआ तथा तभी से ताजुडी का परिवार उक्त वर्णित भूमि पर काबीज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है एवं मौके पर निवास कर रहे है। अपीलांट का सम्पत्ति पर कोई कब्जा नही है। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रत्यर्थी सं. 1 से 6 का बंटवारा होकर उसका भी नामान्तरकरण हो चुका है। उक्त वसीयत फर्जी एवं कुटरचित है जिसके आधार पर 30 वर्ष पश्चात् विधिवत किये गये नामान्तरकरण को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खरीज करने निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 3 से 7 बावजुद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 10.03.2021 को उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 13.08.2021 को तहसीलदार सज्जनगढ की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसमें कथन किया गया कि नामान्तरकरण सं. 343 खातेदार की मृत्यु उपरान्त हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसार खोला गया है।

दिनांक 15.09.2021 को उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता तथा अप्रार्थी सं.1, 2 के अधिवक्ता व अप्रार्थी सं. 8 की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया गया कि ग्राम लसोडिया पटवार क्षेत्र राठ धनराज तहसील कुशलगढ हाल सज्जनगढ के खाता सं.38 नया व 39 पुराना खसरा नं.91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 146, 147, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 206, 210, 211, 230, 231, 235, 446, 507/1, 510/181, 554/160, 555/169 कुल खेत 30 कुल रकबा 54.05 बिघा जिसका रजिस्टर्ड वसीयतनामा वरसेंग द्वारा अपीलांट मखजी व स्व.ताजुडी के नाम दिनांक 31.01.1990 को पंजीबद्ध किया गया था। अपीलांट अनुसार उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा को नजरदांज कर एवं कानून की अनदेखी कर दिनांक 04.10.1993 को नामान्तरकरण सं. 343 तात्कालिक तहसीलदार कुशलगढ द्वारा वरसेंग की दो पुत्रीयों स्व. धीरा व स्व. ताजुडी के नाम खोला गया जिसमें दोनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 13:25:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

पुत्रीयों की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान खाता नम्बरान 42 व 44 के सम्पूर्ण खेतो पर अपीलांट सयुक्त रुप से कब्जा है। उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाने में करीबन 50,000/– रुपया खर्च किये है एवं लगातार खर्चा करता आ रहा है। मौके पर कब्जा एवं पंजीकृत वसीयतनामा होने के बावजूद अपीलांट की जानकारी के बिना at the back of the party नामान्तरकरण धीरा व ताजुडी के नाम खोला जो अवैधानिक होकर काबिल निरस्त है। उक्त नामान्तरकरण का इल्म नकल दिनांक 14.07.2020 को प्राप्त करने से हुआ। अपीलांट सुदुर ग्रामिण क्षेत्र एस.टी का सदस्य होने से एवं कानून पेचिदगीयों की जानकारी नही होने से अपील में देरी हुई है जो वास्तविक, सद्भावनापूर्ण व न्यायोचित है।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया कि मूल खाता वरसेंग पिता लिमजी के नाम से था तथा मृत्यु के पश्चात् वरसेंग के कोई पुत्र संतान नही होने से दो जीवीत पुत्रीयों धीरा, ताजुडी पिता वरसेंग के नाम सयुक्त रुप से खाते में जरिये नामान्तरकरण सं. 343 दिनांक 04.10.1993 से दर्ज हुआ तथा तभी से ताजुडी का परिवार उक्त वर्णित भूमि पर काबीज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है एवं मौके पर निवास कर रहे है। अपीलांट का सम्पत्ति पर कोई कब्जा नही है। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रत्यर्थी सं. 1 से 6 का बंटवारा होकर उसका भी नामान्तरकरण हो चुका है। अपीलांट वादग्रस्त सम्पत्ति की वसीयत 30 वर्ष से भी अधिक समय होने के बावजुद कभी मौके पर उपस्थित नही हुआ और न ही उक्त वसीयत को सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वसीयत फर्जी एवं कुटरचित है। जिसके आधार पर 30 वर्ष पश्चात् विधिवत किये गये नामान्तरकरण को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खरीज करने निवेदन किया।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने के विनिश्चय के पश्चात् उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जहाँ तक वसीयत फर्जी एवं कुट रचित होने का प्रश्न है, जिस पर निर्णय करना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नही आता है। मूल खातेदार श्री वरसेंग द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलांट मखजी व स्व.ताजुडी के नाम दिनांक 31.01.1990 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा पंजीबद्ध किया गया था। किन्तु मूल खातेदार वरसेंग की मृत्यु के पश्चात् तत्समय उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रस्तुत नही करने से नामान्तरकरण सं. 343 दिनांक 04.10.1993 तात्कालिक तहसीलदार कुशलगढ द्वारा वरसेंग की दो पुत्रीयों स्व. धीरा व स्व. ताजुडी के [illegible] के आधार पर खोला गया है। जबकि मूल खातेदार वरसेंग ने अपने जीवनकाल में दिनांक 31.01.1990 को जरिये रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 13:25:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वसीयत पत्र ग्राम लसोडिया पटवार क्षैत्र राठ धनराज तहसील कुशलगढ हाल सज्जनगढ के खाता सं.38 नया व 39 पुराना खसरा नं.91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 146, 147, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 206, 210, 211, 230, 231, 235, 446, 507/1, 510/181, 554/160, 555/169 कुल खेत 30 कुल कृषि भूमि रकबा 54.05 बिघा मखजी पिता हकरा व ताजुडी पुत्री वरसेंग को दे दी थी। इस कारण वरसेंग की मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि भूमि मखजी व ताजुडी के नाम वसीयत पत्र के आधार पर दर्ज होनी थी।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार तहसील कुशलगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 343 दिनांक 04.10.1993 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सज्जनगढ को पंजीकृत वसीयत पत्र दिनांक 31.01.1990 की प्रमाणिकता सुनिश्चित कर एवं पक्षकारों की सुनवाई करते हुए नियमानुसार निर्णय करने आदेशित किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 13:25:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner